

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिका
समग्र शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष/फैक्स नं. 07752 310271

ईमेल : rmsa.bilaspur@gmail.com

क्र./२५/डी.ए.व्ही.मु.प.स्कूल/शास.कोटा/RTE/2023-24

बिलासपुर दिनांक १९/०४/२०२४

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
डी.ए.व्ही.मु.मं. पब्लिक स्कूल
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)।


विषय:- डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) अंतर्गत 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटे में प्रवेश विषयक।

संदर्भ:- लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर का पत्र क्र./809 दिनांक 19.12.2023।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के अन्तर्गत प्रारंभिक कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 8 प्रतिशत शासकीय कोटे में प्रवेश हेतु पत्र के साथ संलग्न सूची अनुरूप के.जी.1 से कक्षा 8वी तक रिक्त कुल 65 सीटों पर प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 30 अप्रैल 2024 तक मंगाया जाकर कक्षावार एवं वर्गवार गोश्वारा सहित आवेदन पत्र नोडल प्राचार्य से सत्यापित कराकर इस कार्यालय को 8 मई 2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रवेश हेतु रिक्त सीट की जानकारी, आवेदन पत्र एवं प्रपत्र।


मु.का. अधिकारी, जिला पंचायत
एवं जिला परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा बिलासपुर छ.ग.
बिलासपुर दिनांक १९/०४/२०२४

पृ.क्र./२५/डी.ए.व्ही.मु.प.स्कूल/शास.कोटा/RTE/2023-24
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रवती भवन अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला बिलासपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त नोडल प्राचार्य, डी.ए.व्ही.मु.मं. पब्लिक स्कूल में उपरोक्तानुसार प्रवेश हेतु प्रचार-प्रसार करने एवं प्राप्त आवेदनों का सत्यापन पश्चात् गोश्वारा सहित जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशार्थ प्रेषित।


मु.का. अधिकारी, जिला पंचायत
एवं जिला परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा बिलासपुर छ.ग.

बिलासपुर जिला में संचालित डी.ए.व्ही.मु.प. स्कूल में 8% शासन कोटा अंतर्गत रिक्त सीटों की जानकारी सत्र 2024-25

रिक्त सीटों की कक्षावार जानकारी

क्र.	विकास खंड	डी.ए.व्ही.मु.प. पब्लिक स्कूल का नाम	कक्षा के.जी.1	कक्षा के.जी.2	कक्षा 1ली	कक्षा 2री	कक्षा 3री	कक्षा 4थी	कक्षा 5वी	कक्षा 6वी	कक्षा 7वी	कक्षा 8वी	महायोग
			रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
1	बिल्हा	डी.ए.व्ही.मु.प. पब्लिक स्कूल गोदी	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	10
2	कोटा	डी.ए.व्ही.मु.प. पब्लिक स्कूल गोबरीपाट	7	6	0	2	4	0	4	2	5	2	32
3	मस्तूरी	डी.ए.व्ही.मु.प. पब्लिक स्कूल वेदपरसदा	7	0	2	0	1	2	1	0	1	1	15
4	तखतपुर	डी.ए.व्ही.मु.प. पब्लिक स्कूल देवरीखुर्द	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
योग			28	8	2	2	5	2	5	2	7	4	65



जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
रा.मा.शि.मि. बिलासपुर छ.ग.

1.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के लिए आरक्षित कुल 08 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के बच्चों का प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2024-25

संस्था का नाम- डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल

विकासखंड का नाम-

जिले का नाम-

जाति एवं वर्ग-

बी0पी0एल0 सर्वे सूची का क्रमांक व वर्ष-

पासपोर्ट साईज
कलर फोटो

(पालक सक्षम अधिकारी का बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र अथवा सर्वे सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची, 2011 में नाम, बी.पी.एल. सर्वे सूची 2002 (ग्रामीण), 2007 (शहरी) में नाम, अंत्योदय कार्ड)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-
2. लिंग (बालक/बालिका) :-
3. आवेदक की जन्मतिथि (अंकों में) :-
- (शब्दों में) :-
4. पिता का नाम :-
5. माता का नाम :-
6. जाति :-

(अनुजाति एवं अनु. जनजाति संवर्ग के छात्र तहसील कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

7. आवेदक का प्रकार:- (1) विकलांगता (40% से अधिक हां/नहीं), विकलांगता का प्रकार
(सरकारी अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
- (2) मातृ-पितृहीन/पितृहीन :-
(चाइल्ड वेलफेयर समिति द्वारा जारी सूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
- (3) छुड़ाए गए बाल श्रमिक (हां/नहीं) :-
(सक्षम अधिकारी/कलेक्टर द्वारा प्रमाणित)

8. पिता/पालक का व्यवसाय :-
- (शासकीय नौकरी में नहीं होने का शपथ पत्र)
9. पिता/पालक का वार्षिक आय :-
10. क्या आवेदक उसी विकासखंड का निवासी है जिस विकासखंड के डी.ए.मु.मं. पब्लिक स्कूल में प्रवेश हेतु आवेदन कर रहा है। हां/नहीं में जवाब दें-
11. यदि हों तो पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :-
- :-
- :- विकासखंड.....जिला.....
12. स्थायी निवास का पता :-
- :-
- :- विकासखंड.....जिला.....

टीप:- आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र (विद्यार्थी का), जाति प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान फोटो पास बुक आदि में से एक संलग्न करें) व निवास प्रमाण-पत्र (पालक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) मातृ-पितृहीन/पितृहीन होने संबंधी नोटरी का शपथ पत्र, माता-पिता का आय हेतु पटवारी अथवा सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र दिव्यांगजन विद्यार्थी (40% से अधिक) सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

पालक/ आवेदक का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है। यदि कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो आवेदन निरस्त किए जाने बाबत जिला स्तरीय समिति का निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक

पिता/पालक के हस्ता०

.....

दूरभाष/मो०नं०-

आवेदक के हस्ता०

.....

दूरभाष/मो०नं०-

नोडल प्राचार्य डी.ए.व्ही.मु.मं. पब्लिक स्कूल का प्रवेश हेतु अनुसंशा

संबंधित आवेदक श्री के आवेदन का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया परीक्षण उपरांत आवेदन पत्र निःशुल्क एवं बाल अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 अंतर्गत उल्लेखित नियमानुसार..... (पात्र/अपात्र) पाया गया। अतः संबंधित आवेदक को कक्षा- में प्रवेश हेतु डी.ए.व्ही.मु.मं. पब्लिक स्कूल वि.खं.जिला..... में प्रवेश हेतु अनुसंशा करता/करती हूं।

नोडल प्राचार्य का हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

जिला स्तरीय चयन समिति डी.ए.व्ही.मु.मं. पब्लिक स्कूल का प्रवेश हेतु अनुमोदन

उपरोक्तानुसार नोडल प्राचार्य डी.ए.व्ही.मु.मं. पब्लिक स्कूल के अनुसंशा उपरांत संबंधित आवेदक को निःशुल्क एवं बाल अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 अंतर्गत प्रवेश हेतु अनुमोदित किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन सचिव
जिला स्तरीय चयन समिति
डी.ए.व्ही.मु.मं. पब्लिक स्कूल
जिला बिलासपुर छ.ग.

डी.ए.व्ही.मु.मं. पब्लिक स्कूल में विद्यार्थी के नामांकन संबंधी विवरण

उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत आवेदक श्रीको आज दिनांक को विद्यालय के कक्षा में प्रवेश दिया गया जिसका विद्यालय में दाखिला क्रमांक है।

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य

डी.ए.व्ही.मु.मं. पब्लिक स्कूल
वि.खं.-
जिला- (बिलासपुर छ.ग.)

